न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 16 / 2022

अपीलांट–

1. धीराराम पुत्र मुलाराम
2. राऊराम पुत्र मुलाराम
3. लिछमणराम पुत्र हरदान
4. वरजुदेवी पत्नि मुलाराम
5. हेमी बेवा नंदराम
6. पदमाराम पुत्र उदाराम
7. नेनु बेवा पुनमा
8. लच्छाराम पुत्र पुनमाराम
9. सुराराम पुत्र अरजन
10. सांवलाराम पुत्र अरजन
11. बाबूलाल पुत्र अरजन
12. अशोक चौधरी पुत्र रामचंद्र
13. उमेदा पुत्र नंदराम
14. केसराराम पुत्र अरजन
15. देवेन्द्र चौधरी पुत्र रामचंद्र
16. धाई चौधरी बेवा रामचंद्र
17. लक्ष्मी बेवा भुराराम
18. माला पुत्र कोजा
19. बाबुलाल पुत्र भुराराम
20. रामाराम पुत्र खरथाराम
21. मथरीदेवी बेवा खरथाराम
22. ईशराराम पुत्र खरथाराम
23. किशनाराम पुत्र भुराराम
24. पेमाराम पुत्र खरथाराम
25. बाबुराम पुत्र खरथाराम

    जाति जाट निवासी
    धनौड़ा, ग्राम पंचायत चाड़ी
    तहसील रामसर जिला
    बाडमेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 तहसीलदार, रामसर

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक भू.अ./2012/363 दिनांक 02.05.2012 जो तहसीलदार रामसर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–
1. श्री रमेश कुमार गौड़, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफोर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 16.07.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार रामसर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक भू.अ./2012/363 दिनांक 02.05.2012 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मौजा धनौडा तहसील रामसर जिला बाड़मेर के खेत खसरा नंबर 98, 101,175, 177 रकबा क्रमशः 59 बीघा 12 बिस्वा, 40 बीघा 04 बिस्वा, 78 बीघा 02 बीस्वा व 05 बीघा 11 बिस्वा का आया हुआ है। उक्त खेत के खातेदारों ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.04.2012 को तहसीलदार रामसर के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार रामसर द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 363 दिनांक 02.05.2012 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.04.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट् को जरिये नोटिस तलब किया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट के अधिवक्ता को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार रामसर द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक 363 दिनांक 02.05.2012 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। अपीलाधीन आदेश पक्षकारान के मौके पर कब्जा एवं रकबा अनुसार नहीं है तथा यह नक्शा दोनों पक्षों के विवाद का कारण बन गया है। खातेदारों के खसरों का बंटवाडा करने हेतु मौके पर बनी हुई डामर सड़क के अनुसार अलग–अलग रकबा कायम कर बंटवाड़ा करने हेतु हलका पटवारी से निवेदन किया जिस आधार पर पटवारी ने नक्शे बनवा कर पक्षकारान के नक्शों पर हस्ताक्षर करवाये लेकिन बंटवाड़ा करते समय अपनी मर्जी से राजस्व रेकर्ड में कटी हुई सड़क के आधार पर रकबों को परिवर्तित कर आदेश दिनांक 02.05.2012 पारित करवाया। ऐसी स्थिति मे अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि खातेदार राऊराम पुत्र मुलाराम द्वारा अपने हिस्से का सीमाज्ञान करवाने हेतु प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार रामसर को दिया तो पटवारी हलका दिनांक 06.03.2022 को मौके पर आया तथा उसने सीमाज्ञान करवाना प्रारंभ किया लेकिन बीच में ही छोड़ दिया और पक्षकारान को दिनांक 06.03.2022 को यह लिख कर दिया कि खातेदारों के खसरा संख्या 324/98, 328/177, 330/101, 332/175 ग्राम धनौड़ज्ञ में डामर रोड़ अपने वास्तविक कटाण स्थान पर न बनकर अन्य जगह बनी हुई है। इस प्रकार खातेदारों के उपरोक्त वर्णित खसरों में डबल रोड़ होने के कारण सीमाज्ञान वस्तुस्थिति के अनुसार सही नहीं हो पा रहा है। अन्य खसरे प्रभावित होने के कारण रकबे भी प्रभावित हो रहे हैं। पटवारी हलका द्वारा उक्त प्रकार से लिखित पक्षकारान को सर्वप्रथम दिनांक 16.03.2022 को मिली तब पक्षकारान को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश में संशोधन होने व रकबे प्रभावित होने की जानकारी हुई। तब खातेदारान ने दिनांक 18.03.2022 को अपीलाधीन आदेश की नकले मांगी जो तैयार होकर उसी दिन प्राप्त कर ली गई। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 प्रफोर्मा पक्षकार।

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा

न्यायालय अपर कलक्टर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

धनौडा तहसील रामसर जिला बाड़मेर के खेत खसरा नंबर 98, 101,175, 177 रकबा क्रमशः 59 बीघा 12 बिस्वा, 40 बीघा 04 बिस्वा, 78 बीघा 02 बीस्वा व 05 बीघा 11 बिस्वा का आया हुआ है। उक्त खेत के खातेदारों ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 16.04.2012 को तहसीलदार रामसर के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार रामसर द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक 363 दिनांक 02.05.2012 पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश पक्षकारान के मौके पर कब्जा एवं रकबा अनुसार नहीं है तथा यह नक्शा दोनों पक्षों के विवाद का कारण बन गया है। खातेदारों के खसरों का बंटवाडा करने हेतु मौके पर बनी हुई डामर सड़क के अनुसार अलग–अलग रकबा कायम कर बंटवाड़ा करने हेतु हलका पटवारी से निवेदन किया जिस आधार पर पटवारी ने नक्शे बनवा कर पक्षकारान के नक्शों पर हस्ताक्षर करवाये लेकिन बंटवाड़ा करते समय अपनी मर्जी से राजस्व रेकर्ड में कटी हुई सड़क के आधार पर रकबों को परिवर्तित कर आदेश दिनांक 02.05.2012 पारित करवाया। अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामसर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार रामसर द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक 363 दिनांक 02.05.2012 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रामसर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 में यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।
9. निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)